इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2017—चैत्र 10, शक 1939

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 37-2-2015-बीस-3

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2017

मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, निजी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता तथा मान्यता के नवीनीकरण के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंम :--

- (1) ये नियम मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 है।
- (2) इनका विस्तार निजी हाईस्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं हेतु मान्यता / मान्यता का विस्तार करने के प्रयोजन से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में होगा।
- (3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (4) शैक्षणिक सत्र 2016—2017 तक के मान्यता से संबंधित समस्त मामले उस समय विद्यमान उपबंधों / नियमों के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे।

- 2. **परिमाषाएं** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत हैं, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965);
 - (ख) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, आयुक्त, लोक शिक्षण;
 - (ग) "संभागीय संयुक्त संचालक" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा संभाग मुख्यालयों पर नियुक्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण;
 - (घ) "निजी विद्यालय" से अभिप्रेत है, किसी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा केन्द्रीय / राज्य अधिनियमों के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से गठित तथा रिजस्ट्रीकृत रूप से चल रहा कोई विद्यालय, जिसे सरकारी स्त्रोतों से कोई नियमित सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है;
 - (इ.) "मान्यता समिति" से अभिप्रेत है, नियम 3 के अधीन गठित मान्यता समिति।

3. मान्यता समिति का गठन तथा कृत्य-

- (1) मान्यता समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:-
 - (1) मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अध्यक्ष
 - (2) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश सदस्य
 - (3) प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा सदस्य विभाग
 - (4) आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश सदस्य
 - (5) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, जैसा सदस्य-सचिव कि आयुक्त, लोक शिक्षण इस कार्य के लिए प्राधिकृत करे
- (2) मान्यता समिति, नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय—समय पर अनुदेश तथा पॉलिसी मार्गदर्शक सिद्धांतों को जारी करेगी तथा मान्यता समिति द्वारा स्थापित ऐसे अनुदेश एवं पद्धित समस्त निजी विद्यालयों पर बंधनकारी होगी। मान्यता समिति को इन नियमों में वर्णित मापदण्ड तथा अन्य शर्तों को एक वर्ष की कालाविध के लिए छूट देने की शक्ति होगी। मान्यता समिति द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन भूमि तथा भवन हेतु न्यूनतम अपेक्षा के संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- (3) मान्यता समिति को मान्यता शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क, विलम्ब शुल्क तथा अन्य शुल्क को समय—समय पर विनिश्चित करने अथवा पुनरीक्षित करने की शक्ति होगी।
- (4) अध्यक्ष, मान्यता समिति की बैठक आहूत करेगें।
- (5) मान्यता समिति की बैठक के लिए न्यूनतम 3 सदस्यों की गणपूर्ति अनिवार्य होगी, जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा तथा आयुक्त, लोक शिक्षण की उपस्थिति आवश्यक होगी।

 मान्यता प्राधिकारी— जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर मान्यता अथवा मान्यता के विस्तार के लिए प्राप्त आवेदनों पर अंतिम विनिश्चय संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा किया जाएगा।

मान्यता हेतु मापदण्ड—

- (1) सोसायटी / ट्रस्ट, केन्द्रीय या मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटी अधिनियम अथवा केन्द्रीय या मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत निजी हाई स्कूल / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- (2) भूमि तथा भवन
 - (क) हाईस्कूल या/और उच्चतर माध्यिमक विद्यालय को चलाने का आशय रखने वाली सोसायटी/ट्रस्ट के पास न्यूनतम एक एकड़ भूमि होनी चाहिए तथा निर्मित क्षेत्र राष्ट्रीय भवन संहिता में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार होना चाहिए।
 - (ख) सोसायटी / ट्रस्ट के पास किसी हाईस्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के लिए उपरोक्तानुसार न्यूनतम अनुबंध के अनुसार स्वयं का अथवा किराए का भवन कक्षा 9 वीं तथा 10 वीं, के लिए पृथक—पृथक अध्यापन कक्ष के साथ होना चाहिए। कक्षा 11 वीं तथा 12 वीं के प्रत्येक संकाय के लिए पृथक अध्यापन कक्ष होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें एक प्राचार्य कक्ष, एक कार्यालय कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष, प्रयोगशाला (हाईस्कूल की दशा में एक तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के लिए तीन), एक स्टाफ रूम तथा बालक तथा बालकाओं के लिए पृथक—पृथक टायलेट ब्लाक भी पर्याप्त संख्या में अनिवार्य होंगे। यदि किसी विद्यालय में शिक्षण का माध्यम एक से अधिक है तब अध्यापन कक्षों की संख्या में तद्नुसार वृद्धि की जाएगी।
 - (ग) भूमि अथवा भवन को किराए पर लेने की दशा में उनके अभिलेख वैध रूप से रजिस्ट्रीकृत होने चाहिए तथा रजिस्ट्रीकृत अभिलेखों की सत्यापित प्रति, आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
 - (घ) शाला में अग्निशमन की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी।
 - (ड.) शाला द्वारा "विशेष आवश्यकताओं" वाले बच्चों के लिए सन्नियमों के अनुसार समृचित व्यवस्था की जाएगी।
 - (च) ऐसी शालाएं जो मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2015 से मान्यता प्राप्त हैं तथा इन नियमों के प्रारंभ

होने के पूर्व से कार्य कर रहीं हैं तथा ऐसे स्थान पर अवस्थित हैं जहां विहित मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम अपेक्षित भूमि तथा भवन की उपलब्धता सुनिश्चित होना संभव नहीं है, वहां संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा उनके कारणों को अभिलिखित करते हुए, भूमि तथा भवन के लिए अपेक्षा के संबंध में नियमों में अधिकतम एक वर्ष की अविध के लिए छूट दी जा सकेगी।

- (3) अध्यापन कक्स -- शाला भवन में चल रही कक्षाओं तथा वर्गों की संख्या के अनुसार पर्याप्त अध्यापन कक्ष होंगे। किसी भी वर्ग में 45 छात्रों से अधिक नहीं होंगे।
- (4) प्रयोगशाला —प्रत्येक हाई स्कूल में एक सामूहिक प्रयोगशाला होगी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा जीव विज्ञान के लिए पृथक—पृथक प्रयोगशाला, पाठ्यक्रम के अनुसार विनिर्दिष्ट संख्या में प्रयोगशाला के उपकरणों के साथ होगी।

(5) पुस्तकालय-

- (क) शाला के पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों से भिन्न प्रति छात्र कम से कम दो पुस्तकों होनी चाहिए, जो बच्चों के ज्ञान के विस्तार में उपयोगी हों।
- (ख) शाला पुस्तकालय में कोई ऐसी पुस्तक या अन्य रूपों का साहित्य अंतर्विष्ट नहीं होगा जो साम्प्रदायिक विवाद या जातिवाद या धर्म, क्षेत्र या भाषा आदि के आधार पर भेदभाव का समर्थन अथवा प्रचार करे। शाला पुस्तकालय में भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित किसी पुस्तक को नहीं रखा जाएगा।
- (6) खेल. मैदान तथा सुविधाएं— शाला के पास शाला प्रांगण में कम से कम दो खेलों जैसे बेडिमेंटन/टेबल टेनिस/कबड्डी/खो—खो/वॉलीबाल/ बास्केटबाल आदि की सुविधा होगी।
- (7) प्रसाधन—शाला के बालक एवं बालिकाओं हेतु पृथक—पृथक प्रसाधन, पर्याप्त संख्या में शाला में उपलब्ध होंगे।
- (8) फर्नीचर— प्रत्येक छात्र के लिए बैठने तथा अध्ययन के लिए समुचित फर्नीचर की व्यवस्था रखी जाएगी।
- (9) **पेयजल व्यवस्था** बच्चों और कर्मचारिवृन्द के लिए शुद्ध पेयजल को प्रदाय करने की समुचित व्यवस्था होगी।

- (10) विद्युत्- शाला द्वारा कक्षा में बिजली और पंखे उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (11) नियमित स्वास्थ्य जांच शाला प्रत्येक बच्चे की वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था कराएगी। प्रत्येक बच्चे का हेल्थ कार्ड संधारित किया जाएगा।
- (12) **पार्**येत्तर गतिविधियां शाला में सप्ताह में एक पीरियड जीवन कौशल शिक्षा (मूल्य आधारित शिक्षा) तथा अन्य पार्येत्तर गतिविधियों के लिए नियत किया जाएगा।
- (13) शाला द्वारा खेल गतिविधियां, योग सहित संचालित की जाएंगी। समस्त खेल शिक्षकों को अपेक्षाओं के निर्धारण अनुसार प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन दिन के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह खेल से संबंधित गतिविधि के लिए कम से कम एक पीरियड अनिवार्य रूप से होगा।
- (14) प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा तथा कक्षाओं के प्रारंभ होने से पूर्व राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा।
- (15) वित्तीय स्त्रोत— सोसायटी / ट्रस्ट शाला के प्रबंधन हेतु समुचित वित्तीय स्त्रोत रखेगी। मान्यता के लिए आवेदन के साथ पूर्व वर्ष के आय-व्यय के अंकेक्षित विवरण संलग्न किए जाने चाहिए।
- (16) अध्यापन संकाय— हाई स्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला की कक्षाओं के लिए अध्यापन की व्यवस्था सरकारी शालाओं के लिए उपलब्ध मापदण्डों के अनुसार की जाएगी। 160 छात्रों की क्षमता वाले प्रत्येक हाई स्कूल में एक प्राचार्य होगा तथा शासकीय सिन्तयमों के अनुसार योग्यता तथा प्रशिक्षण रखने वाले छह शिक्षक रखे जाएंगे। ये छह शिक्षक अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषयों के लिए नियुक्त किए जाने चाहिए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक विषय के पृथक—पृथक व्याख्याता नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक 45 अतिरिक्त छात्रों के लिए एक पृथक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक शाला में यह अनिवार्य होगा कि एक संगीत शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक / प्रशिक्षक, एक प्रयोगशाला सहायक तथा एक कार्यालय सहायक नियुक्त किया जाए। शिक्षकों का वेतन उनके आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। शाला को छात्रों के लिए पाठ्यक्रम या पाठ्येत्तर गतिविधियों के संचालन तथा छात्रों का समग्र और सतत् मूल्यांकन करने के लिए आयुक्त, लोक शिक्षण अथवा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक शाला के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक कैलेण्डर का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

- (17) परामर्शी— प्रत्येक शाला द्वारा एक परामर्शी के कर्तव्यों के पालन हेतु एक अंशकालिक परामर्शी नियुक्त किया जाएगा। परामर्शी मनोविज्ञान में स्नातक होगा अथवा उसके पास स्नातक के साथ काउंसलिंग में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होगा।
- (18) मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शाला को समस्त शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक कर्मचारिवृन्द से ऐसे शपथ पत्रों को प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरूद्ध "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000" के अधीन कोई मामला पंजीकृत नहीं है।

(19) सुरक्षा निक्षेप -

(1) मान्यता / मान्यता के नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक शाला द्वारा ऐसी कालावधि के लिए सुरक्षा निधि जमा की जाएगी जिसके लिए आवेदन किया गया है। राशि सारणी में वर्णित किये गए अनुसार निम्नलिखित रीति में एक मुश्त जमा की जाएगी:—

सारणी

अनुक्रमांक	छात्रों की संख्या	हाई स्कूल	हाई स्कूल+उच्चतर माध्यमिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	250	रूपए 25,000 / -	रूपए 40,000/-
2	251 से 500	रूपए 35,000 / -	रूपए 50,000 /
3.	501 से 750	रूपए 50,000 /-	रूपए 75,000 /-
4.	751 से अधिक	रूपए 75,000/-	रूपए 1,00,000 /-

इस प्रकार जमा की गई सुरक्षा निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में शाला प्राचार्य तथा जिला शिक्षा अधिकारी के संयुक्त नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखी जाएगी।

(2) संस्था द्वारा शाला की मान्यता अभ्यर्पित करने अथवा निरस्त करने के लिखित अनुरोध की दशा में, सुरक्षा राशि से शोध्यों की कटौती करने के पश्चात्, यदि कोई हो, वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा निक्षेप आयुक्त, लोक शिक्षण की सहमति के बिना आहरित नहीं किया जाएगा।

(20) अन्य शर्ते--

(1) कोई मान्यता प्राप्त शाला "निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" के उपबंधों के अधीन किसी निःशक्त बच्चे को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी।

- (2) प्रत्येक शाला का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सरकार / स्कूल शिक्षा विभाग को परीक्षा तथा राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय खेलों तथा सांस्कृतिक आयोजनों में उपयोग हेतु जब कभी अपेक्षित हो, शिक्षकों, कर्मचारिवृन्द, भवन आदि उपलब्ध कराए। प्रत्येक शाला द्वारा ऐसे अनुदेशों का पालन किया जाएगा जैसे कि परीक्षा के संबंध में सरकार या माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी किए जाएं।
- (3) प्रत्येक शाला की सोसायटी / ट्रस्ट एक वर्ष के लिए मान्यता शुल्क जमा करेगी जैसी कि मान्यता समिति द्वारा समय—समय पर नियत की जाए। यदि मान्यता एक वर्ष से अधिक के लिए दी जाती है तो सोसायटी / ट्रस्ट द्वारा अग्रिम रूप से उतने वर्षों के लिए मान्यता शुल्क जमा की जाएगी जितने के लिए मान्यता चाही जा रही है।
- (4) प्रत्येक शाला द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिए विनिर्दिष्ट मापदण्डों के अनुसार पृथक से एक प्रयोगशाला / कार्यशाला संधारित की जाएगी।
- (5) यदि शाला में कृषि संकाय है तो वह पृथक से कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि की व्यवस्था करेगा।
- (6) यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्नियमों का पालन हो रहा है। सोसायटी / ट्रस्ट मान्यता के लिए आवेदन करते समय आवेदन प्रपत्र के साथ रिजस्ट्रीकृत वाहनों की सूची संलग्न करेगी। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में, समय—समय पर, परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (7) स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा, समय—समय पर, शालाओं का निरीक्षण किया जाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता तथा सुविधाओं की उपलब्धता और मान्यता के लिए सन्नियमों के पालन से संबंधित लिखित अनुदेशों को जारी करने की शक्ति होगी। संबंधित सोसायटी/ट्रस्ट को ऐसे अनुदेशों का पालन करना होगा।
- (8) शाला को चलाने के लिए मान्यता प्राप्त होने के पश्चात्, यदि कोई, सोसायटी / ट्रस्ट उसी शाला की कोई शाखा अन्य स्थान पर खोलना चाहती है तो उस शाखा के लिए संस्था द्वारा ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसी नवीनशाला की मान्यता प्राप्त हो रही है।
- (9) विद्यमान समस्त शालाएं तथा नवीन मान्यता प्राप्त शालाएं उनकी स्वयं की वेबसाइट www.educationportal.mp.gov.in की वेबसाइट पर हाइपरिलंक के साथ लांच करने की व्यवस्था करेंगी जिसमें अन्य विवरणों के साथ शाला का स्थान, पाठ्यक्रमों के नाम जिनके लिए वे मान्यता रखती हैं, प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या; अधोसंरचना सुविधाएं जैसे भूमि,

भवन, कार्यालय, कक्षाएं तथा अन्य सुविधाओं का विवरण जैसे प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के साथ कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के फोटोग्राफ्स अंतर्विष्ट होंगे। सोसायटी / ट्रस्ट मान्यता के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन की प्रति भी होस्ट करेगी, वेबसाइट पर निम्नलिखित और भी विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे:

- (क) वार्षिक आधार पर शाला में छात्रों के प्रवेश की संख्या तथा पाठ्यक्रम/कक्षाओं के विवरण जिसके लिए सोसायटी/ट्रस्ट को मान्यता है।
- (ख) शैक्षणिक सदस्यों तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारिवृंद की उनके स्कूल प्रमाणपत्र में यथावर्णित पूरे नाम तथा फोटोग्राफ के साथ उनकी अर्हताएं।
- (ग) ऐसे शैक्षणिक सदस्यों / लिंपिक वर्गीय कर्मचारिवृद के नाम जिन्होंने पिछले तीन माहों में सोसायटी / ट्रस्ट को छोड़ा है अथवा पद ग्रहण किया हो।
- (घ) वर्तमान सत्र में प्रविष्ट हुए छात्रों का विवरण जैसे अर्हता परीक्षा अथवा यदि प्रवेश परीक्षा संचालित की गई है तो उनके अंकों के साथ प्रवेश दिनांक, आदि।
- (ङ) पूर्व निर्घारण वर्ष में छात्रों से प्राप्त की गई मदवार शुल्क तथा संपरीक्षित खाते का विवरण।
- (च) उपलब्ध अधोसंरचना सुविधाएं।
- (छ) वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में जोड़ी गई सुविधाएं।
- (ज) पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या, अभिदत्त पत्रिकाओं की संख्या तथा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं में वृद्धि की संख्या, यदि कोई हुई है।
- (झ) आवेदन प्रारूपं की स्कैन्ड प्रति तथा नवीन मान्यता अथवा मान्यता के नवीनीकरण के लिए सोसायटी / ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत संलग्न अभिलेख।

ऐसी शालाएं जो पहले से मान्यता रखती हैं, इन नियमों के प्रकाशन के तीन माह के भीतर उपरोक्त विवरणों के साथ उनकी वेबसाइट लांच करेंगी।

- 6. मान्यता के लिए आवेदन की प्रक्रिया— नवीन मान्यता या मान्यता का नवीनीकरण अथवा अन्य मामलों के लिए, सोसायटी / ट्रस्ट को एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक को, विहित प्रारूप में नीचे वर्णित दस्तावेजों के साध्य ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने के संबंध में मान्यता समिति द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 - (1) सोसायटी / ट्रस्ट की भूमि से संबंधित रिजस्ट्रीकृत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, शाला भवन के निर्माण किए जाने के लिए स्वीकृति तथा यदि भवन / भूमि किराए पर है तो किराया अनुबंध की रिजस्ट्रीकृत प्रति।

- भूमि/भवन से संबंधित समस्त दस्तावेज सोसायटी/ट्रस्ट के स्वयं के नाम पर होने चाहिए और किसी वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत समूह के नाम न हों।
- (2) सक्षम सिविल प्राधिकारी द्वारा जारी भवन योजना तथा पूर्णता प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
- (3) 100 रूपए के स्टाम्प पेपर पर विहित प्रारूप में भूमि (ग्राम, जिला, राज्य आदि), उसका क्षेत्र, शैक्षणिक प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग से संबंधित सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा तथा कब्जा की प्रकृति चाहे विलेख या पट्टा या स्वयं की संपत्ति हो, की वास्तविक शर्तों को उल्लेखित करते हुए शपथपत्र।
- (4) समिति का अध्यक्ष या सचिव, आवेदन के साथ नियम 5 में वर्णित प्रत्येक मापदण्ड के संबंध में एक नोटरीकृत शपथपत्र संलग्न करेगा।
- (5) सोसायटी / ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या तथा विद्यालय के अध्यापकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 8 इंच × 5 इंच या 7 इंच × 5 इंच या 6 इंच × 4 इंच आकार के रंगीन छाया चित्र निम्नानुसार प्रस्तुत किए जाएंगे :--
 - (क) सामने तथा पीछे की तरफ से लिया गया विद्यालय भवन का रंगीन छाया चित्र।
 - (ख) सोसायटी / ट्रस्ट के समस्त सदस्यों का समूह चित्र।
 - (ग) विद्यालय के समस्त अध्यापकों तथा कर्मचारिवृन्द का समूह छाया चित्र।
 - (घ) छात्राओं तथा छात्रों के लिए पृथक प्रसाधन खण्डों का छायाचित्र।
 - (ङ) पुस्तकालय, प्राचार्य कक्ष, कर्मचारिवृन्द कक्ष, प्रयोगशाला तथा उपलब्ध अध्यापन कक्षों का छायाचित्र।

सोसायटी / ट्रस्ट के सदस्यों, अध्यापकों तथा कर्मचारिवृन्द के छायाचित्र विद्यालय भवन के सामने से लिए जाने चाहिए जिससे कि विद्यालय भवन पृष्ठभूमि में दिखाई दे। छायाचित्र कम्प्यूटर से बने (जेनरेटेड) नहीं होना चाहिए।

- (6) आवेदन प्रारूप के साथ निम्निलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।
 - (क) सोसायटी / ट्रस्ट के सदस्यों की सूची उनके नाम, पद तथा पते के साथ।
 - (ख) समस्त अध्यापकों की कक्षावार तथा विषयवार सूची, उनकी शैक्षणिक अर्हता के साथ तथा आधार क्रमांक के ब्यौरे।
 - (ग) विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों तथा छात्राओं की कक्षावार तथा संकायवार संख्या।
 - (घ) उपलब्ध उपकरणों, रसायनों, प्रदर्शों और प्रतिरूपों इत्यादि की सूची के साथ प्रयोगशालाओं की संख्या।
 - (ड.) विषयवार क्रमसूची के साथ पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या।
 - (च) विद्यालय में उपलब्ध बेंच, डेस्क तथा कपबोर्ड की संख्या।

- (छ) सोसायटी / ट्रस्ट के बैंक खातें के ब्यौरे, पासबुक की अभिप्रमाणित नवीनतम छायाप्रति तथा वर्तमानकालिक चल तथा अचल अस्तियां।
- (ज) पूर्व वर्ष का सोसायटी / ट्रस्ट का वार्षिक संपरीक्षित लेखा।
- (झ) किसी आपराधिक प्रकरण में सोसायटी / ट्रस्ट के सदस्यों की असंलग्नता के बारे में नोटरीकृत शपथपत्र।
- (ञ) शिक्षण के माध्यम का विवरण।
- (7) आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज, सोसायटी / ट्रस्ट के सचिव तथा अध्यक्ष की पदमुद्रा के साथ अभिप्रमाणित होना चाहिए।
- (8) मान्यता के नवीनीकरण के प्रकरणों में, भूमि तथा भवन से संबंधित दस्तावेजों को पुनः प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा, किन्तु भवन का छायाचित्र, पिछले वर्ष के संपरीक्षित लेखों के ब्यौरे, कक्षावार तथा विषयवार समस्त अध्यापकों की उनकी शैक्षणिक अर्हता के साथ सूची और आधार नंबर तथा प्रयोगशाला उपकरणों, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि में हुए किसी भी परिवर्तन के ब्यौरे दिए जाने चाहिए।
- (9) इन नियमों के अधीन मान्यता के बारे में समस्त निर्देश तथा मार्गदर्शन, मध्यप्रदेश एजूकेशन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। मान्यता से संबंधित समस्त पत्राचार ऑनलाइन आवेदन में यथा उपबंधित ई-मेल आईडी के माध्यम से किए जाएंगे।
- (10) नवीन मान्यता / मान्यता नवीनीकरण के आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। नवीन मान्यता / मान्यता के नवीनीकरण की संम्पूर्ण प्रक्रिया, ऑनलाइन की जाएंगी तथा इसे संसूचित भी ऑनलाइन किया जाएंगा।
- (11) सिमिति / ट्रस्ट, आवेदक भारत सरकार के "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार और वाणिज्यिक उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) अधिनियम 2003" के अनुपालन की सुनिश्चितता तथा परिपत्र क्रं / विद्या / ई / 32 / 2015 / 1585, भोपाल, दिनांक 06 / 05 / 2015 द्वारा जारी लोक शिक्षण संचालनालय के निदेशों के अनुकरण की संस्वीकृति का एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करेगा।
- 7. मान्यता के लिए समयावधि किसी समिति द्रस्ट को प्रारम्भ में दो वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी। पूर्व से ही मान्यता प्राप्त विद्यालय को तत्पश्चात् 3 वर्ष के लिए मान्यता की वृद्धि हेतु अनुज्ञात किया जाएगा। किसी सोसायटी / द्रस्ट को एक ही शैक्षणिक वर्ष में कक्षा नवीं और दसवीं या कक्षा ग्यारहवीं या बारहवीं के लिए एक ही साथ मान्यता नहीं दी जाएगी। किन्तु अईता शर्तों के पूर्ण होने पर कक्षा नवीं या कक्षा ग्यारहवीं या दोनों के लिए मान्यता एक ही वर्ष में दी जा सकेगी।

8. मान्यता / मान्यता विस्तार की प्रक्रिया-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, सोसायटी / ट्रस्ट से पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन प्रारूप ऑनलाइन प्राप्त होने पर, संभागीय संयुक्त संचालक के अनुमोदन से एक निरीक्षण दल का गठन करेगा जिससे कि नवीन विद्यालय प्रारम्भ करने के लिए या पूर्व से ही मान्यता प्राप्त विद्यालय की मान्यता वृद्धि के लिए सोसायटी / ट्रस्ट की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। ऐसे निरीक्षण के लिए सोसायटी / ट्रस्ट की सहमति आवश्यक नहीं होगी। सोसायटी / ट्रस्ट निरीक्षण दल को समस्त सुसंगत मूल दस्तावेज तथा ब्यौरें उपलब्ध कराएगा।

(2) किसी नए संकाय की मंजूरी या किसी विद्यमान संकाय में प्रवेश के लिए छात्रों की अतिरिक्त संख्या की मंजूरी के लिए, निरीक्षण दल, नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए या छात्रों की अतिरिक्त संख्या बढ़ाने के लिए सोसायटी / ट्रस्ट की उपलब्ध सुविधाओं तथा क्षमता का मूल्यांकन करेगा। निरीक्षण दल, निरीक्षण

के सात दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी, निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर, समस्त दस्तावेजों को संलग्न करते हुए अपनी टिप्पणी के साथ, संभागीय संयुक्त

संचालक, स्कूल शिक्षा को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) संभागीय संयुक्त संचालक किसी विद्यालय को मान्यता प्रदान करने का विनिश्चय करने के पूर्व, यह सुनिश्चित करेगा कि सोसायटी / ट्रस्ट से संबंधित समस्त मापदण्डों और मानकों, केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों, हाई स्कूल या / और हायर सेकेन्ड्री से संबंधित पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए नियमों या विनियमों का पालन कर लिया गया है।

(5) संभागीय संयुक्त संचालक, निरीक्षण प्रतिवेदन के प्राप्त होने के 30 दिन के

भीतर मान्यता की मंजूरी/विस्तार का अंतिम विनिश्चय करेगा।

(6) भान्यता के लिए आवेदन की प्रक्रिया-

मान्यता अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- (क) मान्यता या नवीनीकरण की वांछा रखने वाले विद्यालय इस संबंध में विहित आवेदन प्रारूप में एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से संभागीय संयुक्त संचालक को आवेदन करेंगे।
- (ख) यदि संभागीय संयुक्त संचालक पाता है कि आवेदक द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत किया गया है या अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करने में असफल रहता है तो वह आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर ई—मेल द्वारा आवेदक को इस त्रुटि के बारे में सूचना देगा और आवेदक सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर उसी प्रकार पुनः प्रस्तुत करेगा।

(ग) जिला शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करेगा और निरीक्षणकर्ता / निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित समस्त अपेक्षित सूचनाएं तथा

दस्तावेज उपलब्ध करवाना आवेदक का कर्तव्य होगा।

(घ) विद्यालय के निरीक्षण हेतु नियुक्त अधिकारी, विद्यालय का निरीक्षण करने के पश्चात् इसकी रिपोर्ट संभागीय संयुक्त संचालक को उसके विनिश्चय के लिए प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि संभागीय संयुक्त संचालक नियत समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेता है तो यह समझा जाएगा कि नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण प्रदान कर दिया गया है। ऐसे मामलों में यदि अपात्र संस्था नवीन मान्यता/नवीनीकरण प्राप्त कर लेती है तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होगा।

9. स्कूलों के दायित्व:-

- (1) प्रत्येक स्कूल उन्हीं कक्षाओं व संकायों में प्रवेश दे सकेगा, जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई है।
- (2) सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या उसके विस्तार संबंधी जारी प्रमाण-पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जावेगा।
- (3) स्कूल में कार्यरत् शिक्षक एवं कर्मचारिवृन्द किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किन्ही भी राजनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (4) प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल, स्कूल के कार्यकरण के लिए आवश्यक विद्यार्थियों, कर्मचारिवृन्द, लेखे और अन्य ऐसे समुचित अभिलेखों का संधारण करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी आकरिमक रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे।
- (5) स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल में पालक-शिक्षक संघ का गठन किया जावेगा।
- (6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त स्कूल, श्रेष्ठ अकादिमक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत् प्रयास करेगा। प्रत्येक तीन वर्ष की अविध में समस्त शिक्षकों को उनके संबंधित विषय में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाएगा।
- (7) सम्यक् निरीक्षण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी / ट्रस्ट, मान्यता के समय दावाकृत किन्हीं भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी / ट्रस्ट किन्हीं मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा हैं तो संमागीय संयुक्त संचालक को नियम 11 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी।

10. प्रक्रिया / मान्यता फीस-

- (1) मान्यता / मान्यता के विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक सोसायटी / ट्रस्ट निम्नानुसार प्रक्रिया / मान्यता शुल्क जमा करेगा :-
- (क) हाई स्कूल की नवीन मान्यता के लिए रू. 20,000 / तथा हायर सेकेण्डरी की नवीन मान्यता के लिए पृथक्तः रूपए 25,000 / -

- (ख) अतिरिक्त संकाय हेतु रू. 2000 / -
- (ग) हाई स्कूल की मान्यता के विस्तार के लिए रू. 4000/- एवं हायर सेकेण्डरी की मान्यता विस्तार हेतु रू. 5000/- प्रति शैक्षणिक वर्ष।
- (घ) शिक्षण का माध्यम जोड़ने अथवा परिवर्तन के लिए रू. 5000/-
- (ड) छात्रों की संख्या में वृद्धि— हाई स्कूल के लिए 200 से अधिक छात्रों के लिए प्रित 40 छात्र रू. 2000/— तथा हायर सेकेण्डरी के लिए 300 से अधिक छात्रों के लिए प्रति 40 छात्र रू. 2000/—
- (च) स्कूल के स्थान परिवर्तन के लिए रू. 10,000/-
- (2) प्रक्रिया / मान्यता शुल्क के रूप में प्राप्त राशि अथवा उस राशि पर बैंक से प्राप्त ब्याज का उपयोग मान्यता समिति द्वारा यथाप्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा :--
 - (क) संदर्भ पुस्तकों के निर्माण तथा प्रकाशन हेतु।
 - (ख) शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए वर्कशाप, बैठक, सेमीनार आदि का आयोजन, करने के लिए।
 - (ग) शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने तथा शिक्षकों को चिकित्सा सुविधाओं के उपबंध के लिए।
 - (घ) स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यालयों में मूलभूत अधोसंरचना सुविधाओं को मजबूत करने हेतु।
 - (ङ) शासकीय स्कूलों में मूलभूत अधोसरचना उपलब्ध कराने हेतु।
 - (च) स्कूलों में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संचालनालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय, यात्रा व्यय आदि, प्रदान करने हेतु।
 - (छ) ऑनलाइन शिक्षण/मार्गदर्शन की व्यवस्थाओं हेतु।
 - (ज) शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए दीर्घ/अल्पावधि, प्रशिक्षण/ परीक्षाएं आयोजित करने हेतु।
 - (झ) समय-समय पर स्कूलों के निरीक्षण के लिए वाहनों को किराए पर लेने हेतु।
 - (ञ) मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने तथा शैक्षणिक सहायता के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री तैयार करने हेतु।
 - (ट) आदर्श (मॉडल) प्रश्नपत्र तथा पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेत्।

- (ठ) मूल्यांकन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करने तथा विज्ञान और गणित के शिक्षण के आधुनिक तरीकों के लिए प्रयासों में सहयोग करने हेत्।
- (ड) आई सी टी से संबंधित क्रियाकलापों और सी सी ई तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं हेतु।
- (ढ) मान्यता समिति द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य क्रियाकलाप हेतु।
- (3) विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता/मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसायटी/ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में रू0 20,000/— की राशि जमा करने पर विहित तारीख तक आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। प्रथम तथा द्वितीय अपील में विलंब की दशा में विहित तारीख तक विलंब शुल्क के रूप में 20,000/—रू0 की राशि एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करके भी इस पर विचार किया जा सकेगा।

11. मान्यता का निरस्तीकरण/निलंबन और सुरक्षा निक्षेप का सम्पहरणः

- (1) संभागीय संयुक्त संचालक को जांच के आधार पर स्कूल की मान्यता निलंबित करने की शक्ति होगी यदि नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानकों, शर्तो और उत्तरदायित्वों तथा समय—समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन का प्रथम दृष्ट्या पालन नहीं किया जाना पाया गया है। मान्यता के ऐसे निलंबन के पश्चात्, 30 दिन की कालावधि के भीतर सोसायटी / ट्रस्ट को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाना अनिवार्य होगा। यदि विहित समय के भीतर ऐसा कारण बताओ सूचना पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो मान्यता का निलंबन स्वतः वापस लिया गया माना जाएगा।
- (2) कारण बताओं सूचना पर जारी किए जाने की दशा में, यदि सोसायटी / ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का समाधान नहीं होता है तो वह संबंधित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्कूल की मान्यता उसके कारण विनिर्दिष्ट करते. हुए, रद्द कर सकेगा।
- (3) मान्यता के प्रत्याहरण होने पर, प्रस्तुत की गई सुरक्षा निधि को पूर्णतः या अंशतः, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्पहृत हो जाएगी।

- 12. अपील की प्रक्रिया :— सोसायटी / ट्रस्ट का संभागीय संयुक्त संचालक के आदेश से संतुष्ट न होने की दशा में, सोसायटी / ट्रस्ट संभागीय संयुक्त संचालक के आदेश के पारित किए जाने के 30 दिन की कालावधि में आयुक्त लोक शिक्षण को अपील प्रस्तुत करेगा। आयुक्त ऐसी अपील पर तीस दिन की कालावधि के भीतर आदेश जारी करेगा। यदि सोसायटी / ट्रस्ट आयुक्त, लोक शिक्षण के आदेश से असंतुष्ट होता है तो वह 30 दिन की कालावधि के भीतर मान्यता समिति के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकेगा। मान्यता समिति का विनिश्चय अंतिम तथा सोसायटी / ट्रस्ट पर बंधनकारी होगा।
- 13. सम्बद्धता :- प्रत्येक निजी स्कूल के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

14. निरसन तथा व्यावृति :--

- (1) इन नियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से विद्यमान मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम, 2015, शैक्षणिक सत्र 2017—18 से निरस्त माने जायेगें।
- (2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रदान की गई मान्यता, शैक्षणिक सन्त्र 2017—18 से इन नियमों के अधीन विनिश्चित की गई समझी जाऐंगी, परंतु उन्हें नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन शर्तों को पूरा करना होगा।
- (3) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, शैक्षणिक सत्र 2017—18 से, विनिश्चय के लिए पूर्व से लंबित या तत्पश्चात् प्राप्त मान्यता से संबंधित प्रकरण इन नियमों के उपबंधों के अनुसार निपटाए जाएंगे।

F. 37-2-2015-20-3

Bhopal, Dated 31 March 2017

NOTIFICATION

In Exercise of the powers conferred by Section 27 of the Madhya Pradesh Secondary Education Act, 1965 (No. 23 of 1965), the State Government, hereby, makes the following rules regarding recognition and renewal of recognition of private secondary and higher secondary schools, namely:—

RULES

1. Short title, extent and commencement—

- (1) These rules shall be called the Madhya Pradesh Recognition of Secondary and Higher Secondary School Rules, 2017.
- (2) They shall extend to the whole of Madhya Pradesh for the purpose of granting recognition/extension of recognition for private High schools and Higher Secondary schools.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in official gazette.
- (4) All the cases related to recognition till the academic session 2016-17 shall be decided as per provisions/rules existing at that time.
- 2. **Definitions.**—In these Rules, unless the context otherwise requires,—
- (a) "Act" means the Madhya Pradesh Secondary Education Act, 1965 (No. 23 of 1965);
- (b) "Commissioner" means Commissioner Public Instructions, Madhya Pradesh;
- (c) "Divisional Joint Director" means Divisional Joint Director, Public Instructions appointed by the State Government at divisional headquarets;
- (d) "Private School" means a school run by a Society/Trust duly constituted and registered under the provisions of Central/State Acts and not getting any regular grant in aid from any Government source(s).
- (e) "Recognition Committee" means Recognition Committee constituted under rule 3;

3. Constitution and Functions of Recognition Committee-

- (1) Members of Recognition Committee shall be as follows:
 - (1) Minister, Government of Madhya Chairman Pradesh, School Education Department,
 - (2) Chairman, Board of Secondary Member Education, Madhya Pradesh
 - (3) The Principal Secretary / Secretary, Member Government of Madhya Pradesh, School Education Department
 - (4) Commissioner, Directorate of Public Member Instructions, Madhya Pradesh
 - (5) Joint Director, Directorate Public Member Instructions, as authorized for this task Secretary by the Commissioner, Public Instructions
- (2) The Recognition Committee shall from time to time issue instructions and policy guidelines for the effective implementation of Rules and such instructions and system established by the Recognition Committee shall be binding on all private schools. Recognition Committee shall be empowered to relax parameters and other conditions described in these rules, for a period not exceeding one year. No relaxation shall be given under any circumstances by the Recognition Committee in respect of the minimum requirements for land and building.
- (3) Recognition Committee shall have power to decide or revise the recognition fees, processing fees, late fees and other fees from time to time.
- (4) The Chairman shall call the meeting of the Recognition Committee.
- (5) A quorum of minimum of 3 members shall be mandatory for the meeting of the Recognition Committee, in which the presence of Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh, School Education and Commissioner, Public Instructions shall be mandatory.

4. **Recognition Authority-** The Divisional Joint Director shall take final iecision on the applications received for recognition or extension of recognition on the basis of proposal submitted by the District Education Officer.

5. Parameters for Recognition-

- (1) The Societies/Trusts shall be eligible for getting recognition for Private High School/ Higher Secondary Schools registered under the Central or Madhya Pradesh Firms and Society Act or Central or Madhya Pradesh Public Trust Act.
- (2) Land and Building-
 - (a) The Society/Trust, intending to run a High School or/and Higher Secondary School must have minimum one acre land and constructed area should be as per the standards Specified in National Building Code.
 - (b) The Society/Trust should have its own or rented building with a separate class rooms for class 9th and 10th for a High School and for Higher Secondary School, as per the aforesaid minimum stipulation. There shall be separate class rooms for classes 11th and 12th for each stream. In addition to this one Principal room, one Office room, one Library room, laboratory (one in case of High School and 3 for Higher Secondary School), a staff room and separate toilet blocks for girls and boys in sufficient numbers shall also be required. If there is more than one medium of instruction in any school, then the number of class rooms shall also be increased accordingly.
 - (c) In case of rented land or building the documents must be legally registered and the attested copy of these documents should be attached with the application form.
 - (d) There shall be proper firefighting arrangements in the School.
 - (e) The School shall have proper arrangements for children with special needs as per norms.

- (f) Such Schools who have obtained the recognition under The M.P. High School and Higher Secondary School recognition rules 2015 and are functioning prior to the commencement of these rules and are situated in a location where it is not possible to ensure availability of minimum required land and building as per prescribed parameters, the rules regarding the requirement for land and building may be relaxed for a maximum period for one year by the Divisional Joint Director assigning reasons thereof, in writing.
- (3) Class Rooms There shall be sufficient class rooms as per number of classes and sections running in the school building. No section shall have more than 45 students.
- (4) Laboratory In every high school there shall be a common science laboratory and Higher Secondary Schools shall have separate laboratories for Physics, Chemistry and Biology with specified numbers of laboratory equipment as per syllabus.
- (5) Library -
 - (a) The school library should have at least two books per student, other than text books, which are useful in extending the knowledge of children.
 - (b) The school library shall not contain any book or other forms of literature that espouse or propagate communal disharmony or casteism or discrimination based on religion, region or language etc. The school library shall not have any book banned by Government of India or Government of Madhya Pradesh.
- (6) Playground and facilities The school shall have facilities, for at least two sports like Badminton / Table Tennis / Kabaddi / Kho-Kho / Volleyball / Basketball, etc. in school campus.
 - (7) Toilet Separate toilet blocks for boys and girls and in sufficient number shall be provided in the school.

- (8) Furniture There shall be adequate furniture to enable each student to sit and study.
- (9) Drinking Water Facility There shall be adequate arrangement for supply of pure drinking water for children and staff.
- (10) Electricity The school shall provide lights and fans in every class rooms.
- (11) Regular Health Checkup The School shall make arrangement for health checkup of every child at least once a year. The Health Card shall be maintained for every child.
- (12) Extra-curricular activities The school shall fix one period in a week for life skills education (value education) and other such extra-curricular activities.
- (13) The school shall conduct sports activities including Yoga. All Sports teachers should be trained for at least three days every year as per assessment of requirements. There shall be at least one period of sports related activity every week compulsorily.
- (14) National Flag shall be hoisted and National Anthem shall be sung every day before commencement of the classes.
- (15) Financial resources The Society/Trust managing the school shall have adequate financial resources. Audited details of previous year's income-expenditure should be attached along with the application form for recognition.
- (16) Teaching Faculty The teaching arrangements in High School and Higher Secondary School classes shall be as per the parameters applicable to the Government schools. Every High School having a capacity of 160 students shall have one Principal and six teachers having qualifications and training as per the Government norms. These six teachers should be appointed for English, Hindi, Sanskrit, Science, Social Science and Mathematics subjects. Separate lecturers of each subject shall be appointed in Higher Secondary schools. For every 45 extra students a separate teacher

- (8) Furniture There shall be adequate furniture to enable each student to sit and study.
- (9) Drinking Water Facility There shall be adequate arrangement for supply of pure drinking water for children and staff.
- (10) Electricity The school shall provide lights and fans in every class rooms.
- (11) Regular Health Checkup The School shall make arrangement for health checkup of every child at least once a year. The Health Card shall be maintained for every child.
- (12) Extra-curricular activities The school shall fix one period in a week for life skills education (value education) and other such extra-curricular activities.
- (13) The school shall conduct sports activities including Yoga. All Sports teachers should be trained for at least three days every year as per assessment of requirements. There shall be at least one period of sports related activity every week compulsorily.
- (14) National Flag shall be hoisted and National Anthem shall be sung every day before commencement of the classes.
- (15) Financial resources The Society/Trust managing the school shall have adequate financial resources. Audited details of previous year's income-expenditure should be attached along with the application form for recognition.
- (16) Teaching Faculty The teaching arrangements in High School and Higher Secondary School classes shall be as per the parameters applicable to the Government schools. Every High School having a capacity of 160 students shall have one Principal and six teachers having qualifications and training as per the Government norms. These six teachers should be appointed for English, Hindi, Sanskrit, Science, Social Science and Mathematics subjects. Separate lecturers of each subject shall be appointed in Higher Secondary schools. For every 45 extra students a separate teacher

shall be appointed. In every school it shall be mandatory to appoint a music teacher, physical education teacher/trainer, one laboratory assistant and an office assistant. Salary of teachers shall be paid into their Aadhar linked bank accounts. The schools shall mandatorily follow directions of Commissioner, Public Instructions or Secretary, Board of Secondary Education for organizing curricular or extra-curricular activities and carrying out comprehensive and continuous evaluation of students.

It shall also be mandatory for each school to follow the academic calendar published by the Directorate of Public Instructions.

- (17) Every school shall appoint a part time counsellor to perform duties of a Counsellor. The counselor shall be a graduate in psychology or shall be a graduate having a diploma in Counseling.
- (18) Every School seeking recognition shall submit affidavits from all the academic and non-academic staff stating that no case is registered against them under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 and Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

(19) Security Fund-

(1) Every school seeking recognition/renewal of recognition, shall deposit security amount for the period for which application has been made. The amount shall be deposited in lump-sum in the following manner as mentioned in the table

High School+Higher No. of students High School S. No. Secondary (2)(3)(1) Rs. 25,000/-Rs. 40,000/-250 1. Rs. 50,000/-2. 251 to 500 Rs. 35,000/-Rs. 75,000/-501 to 750 Rs. 50,000/-3. Rs. 1,00,000/-Rs. 75,000/-4. 751 and more

TABLE

The security amount so deposited shall be kept as a fixed deposit in any nationalized Bank, in the joint names of School Principal and District Education Officer.

(2) In case of a written request of the school for surrendering or cancelling the recognition of the Institution, security amount shall be returned after deducting the dues if any.

The security deposit shall not be withdrawn without the consent of Commissioner Public Instructions.

(20) Other Conditions -

- (1) No recognized school shall refuse admission to any disabled child under the provisions of "The Persons with Disabilities (Equal Opportunity, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995."
- (2) It shall be the duty of every School to make available teachers, staff and buildings etc. to the School Education Department, Government of Madhya Pradesh, as and when required for examinations and National/State level sports and cultural events. Every School shall follow such instructions as may be issued by the Government or Board of Secondary Education, in respect of the examination.
- (3) Every Society or Trust of the school shall deposit recognition fee for one year as may be fixed, from time to time by the recognition committee. If the recognition is granted for more than one year, Society/Trust shall deposit recognition fee as an advance for the number of years for which recognition is being sought.
- (4) Every School shall maintain a separate laboratory/workshop as per specified parameters for vocational education.
- (5) If school has agriculture stream, it shall have to separately arrange at least one acre of agricultural land.

- (6) If any school provides vehicle facility to its students, it shall be ensured that vehicles following the safety norms as may be prescribed by the Government and Society/Trust shall attach a list of registered vehicles with the application form at the time of applying for recognition. The school shall have to follow the instructions issued by Department of Transport, from time to time, regarding availability of lady conductor in the school buses.
- (7) The officers of School Education Department shall inspect schools, from time to time, and shall be empowered to issue written instructions related to quality of teaching and availability of facilities and compliance of norms for recognition. The concerned Society/Trust shall follow such instructions.
- (8) After getting recognition to run a school, if any, Society/Trust wants to open a branch of the same school at other place, then for that branch, the institution shall have to follow the procedure as if recognition is being sought for a new school.
- (9) All the existing schools and newly recognized schools shall launch their own website along with a hyperlink on the website www.educationportal.mp.gov.in which along with other details, shall contain the place of school, name of courses for which they have recognition; number of students admitted; infrastructure facilities like land, building, office, class rooms and details of other facilities like laboratory, library, etc. along with photographs of working academic and non academic personnel. The Society/Trust shall also host a copy of the application submitted for recognition. Following details shall also be provided on the website:
 - (a) Number of admitted students in the school on the annual basis and details of courses/classes for which the Society/Trust has recognition.

- (b) Full name and photograph of academic and ministerial staff members, as mentioned in their school certificate along with their qualifications.
- (c) Name of those academic/ministerial staff members who have left or joined the Society/Trust in last three months.
- (d) Details of students admitted in the current session e.g. their marks in qualifying exam or entrance exam if conducted along with admission date etc.
- (e) Item wise fees received from students and audited account details of previous assessment year.
- (f) Available infrastructure facilities.
- (g) Facilities added in the current academic year.
- (h) Number of books in the library, number of magazines subscribed and increment in books and magazines in the present academic year, if there is any.
- Scanned copy of application form and attached documents submitted by the Society/Trust for new recognition or renewal of recognition.

such schools who have already been recognized shall launch their website along with the above details within three months of the publication of these rules.

- 6. Procedure for application for recognition For new recognition or renewal of recognition and other matters, Society/Trust should submit online application in prescribed format, along with documents mentioned below, to the Joint Director of the concerned division through M.P. Online. It shall be mandatory to follow the instructions issued from time to time by Recognition Committee regarding submission of online application.
 - (1) Certified copies of registered documents related to Society/Trust's land, permission for constructing school building

and registered copy of the rent agreement, if the building/land is on rent. All documents related to land/building should be in the name of the Society/Trust itself and not in the name of an individual or group of individuals.

- (2) Certified copy of building plan and completion certificate issued by competent civil authority.
- (3) A notarized affidavit in prescribed form on a certified stamp paper of Rs. 100/- describing actual condition of land (village, district, state, etc.), its area, permission of competent authority regarding land use for educational purpose and the nature of possession whether by deed or lease or own property.
- (4) The Chairman or Secretary of Society/Trust shall also attach with the application a notarized affidavit in respect of each parameter mentioned in rule 5.
- (5) Considering the number of Society/Trust's members and number of teachers in school, it should submit a single colour photograph of size in 8 inches x 5 inches or 7 inches x 5 inches or 6 inches x 4 inches as follows:-
- (a) A front and rear side coloured photograph of school building.
- (b) A Group photo of all members of the Society/Trust.
- (c) A Group photo of all teachers and staff of the school.
- (d) A Photograph of separate toilet blocks for girls and boys.
- (e) A Photograph showing Library, Principal room, Staff room, Laboratory and available class rooms.

The photographs of members of Society/Trust, teachers and staff should be taken in front of the school building so that school building may be visible in background. Photograph should not be computer generated.

(6) The following documents shall be submitted along with application form:

- (a) List of the members of the Society/Trust along with their name, post and address.
- (b) List of all teachers, class wise and subject wise, with their educational qualification and details of Adhar numbers.
- (c) Class wise, stream wise number of boys and girls studying in the school.
- (d) Number of laboratories along with the list of available equipments, chemicals, exhibits, models etc.
- (e) Number of available books in Library along with its subject wise index.
- (f) Number of available benches, desks and cupboards in school.
- (g) Details of bank account, certified latest photo copy of pass book and details of current movable and fixed assets of the Society/Trust.
- (h) Annual audited account of Society/Trust of the previous year.
- (i) Notarized affidavit about non-involvement of Society/Trust members in any criminal case.
- (j) Details of medium of instruction.
- (7) Every document attached with application form should be attested with seal of Secretary and Chairman of Society/Trust.
- (8) In cases of renewal of recognition, the documents related to land and building will not be required to be submitted again, but photograph of building, details of last year's audited account, list of all teachers, class wise and subject wise, with their educational qualification and details of Adhar numbers as well as any changes in laboratory equipment, furniture, library etc. should be given.
- (9) All the instructions and guidelines about recognition under these rules shall be available on Madhya Pradesh Education Portal. All the correspondence related to recognition shall be made through the Email-id as provided in online application.

- (10) Application for new recognition/renewal of recognition shall only be accepted online. The entire processing of new recognition/renewal of recognition, cases shall also be done online and it shall be communicated online only.
- (11) Applicant Society/Trust shall also submit an affidavit confirming its compliance of Tobacco Control Act of Government of India "The Cigarette and other tobacco products" (Prohibition of advertisement and Regulation of Trade and Commerce, production, Supply and distribution) Act 2003 and acceptance of following of instructions of Directorate of Public Instructions given vide circular no./School/E/32/2015/1583 Bhopal, dated 06.05.2015.
- 7. Time period of recognition Initially recognition shall be granted to a Society/Trust for a period of two years. The schools already having recognition shall be allowed to get an extension of recognition subsequently for further three years. The Society/Trust shall not get recognition for classes 9th and 10th or classes 11th and 12th simultaneously in the same academic year. However on the fulfillment of eligibility conditions, recognition for class 9th or class 11th or for both can be granted in the same year.

8. Process of recognition / extension of recognition -

- (1) Upon receipt of application forms online from the Society/Trust, complete in all aspects, District Education Officer shall constitute an inspection team with the approval of Divisional Joint Director so that the Society/Trust's capability for starting a new school or extension of recognition to already recognized school can be assessed. Consent of Society/Trust shall not be necessary for such inspection. The Society/Trust shall provide all relevant original documents and details to the inspection team.
- (2) For the purpose of sanctioning a new stream or sanctioning of additional strength an existing stream, the inspection team shall assess the facilities available and the capacity of the Society/Trust for starting new course or making addition in number of students.

The inspection team shall present its report within 7 days from the date of inspection.

- (3) The District Education Officer shall submit his report to the Divisional Joint Director, School Education, with comments within 7 days from the date of the receipt of the inspection report.
- (4) The Divisional Joint Director before granting recognition shall ensure that all the parameters and standards related to the Society and Trust and all regulations under Centre/State Government's various acts, rules or regulations including curriculum related to High School or/and Higher Secondary are properly followed.
- (5) the Divisional Joint Director shall take a final decision of granting/extension of recognition within 30 days after receiving the inspection report.

(6) Procedure to apply:-

The procedure regarding the applying for obtaining the recognition shall be as under:-

- (a) The schools seeking recognition or renewal shall apply to the Divisional joint Director through M.P.Online in the application form prescribed in this regard.
- (b) In case the Divisional Joint Director finds that the applicant has submitted an incomplete application or has failed to enclose the required documents, he shall inform about this lacuna to the applicant via e-mail within 15 days from the date of the receipt of the application and the applicant shall re-submit the same within 15 days from the date of receiving of the information.
- (c) The District Education officer shall ensure carrying out the inspection and it shall be the duty of the applicant to provide all the required information and documents as required by the inspection party/inspecting officer.

- (d) The District Education Office, after receiving the inspection report from the Inspection Team, shall forward the report with his comments to the Divisional Joint Director for his decision.
- (7) If final decision is not taken by the Joint Director within the prescribed time limit, the sanction of new recognition/renewal of recognition shall be deemed to have been granted. In such cases, if any ineligible Society/Trust gets new recognition/renewal of recognition, the concerned competent authority shall be liable for disciplinary action.

9. Responsibilities of the Schools-

- (1) Every School shall give admission in those classes and streams for which they have been recognized.
- (2) Certificates issued by the competent authority related to recognition or extension in recognition shall be exhibited in the Principal's room.
- (3) Teachers and staff working in the school shall not participate in any kind of political activity and students should not be involved for any political activities by the concerned school.
- (4) Every recognized school shall maintain proper record of students, staff, accounts and other such records necessary for functioning of the school. Officers of school education department may inspect any of these records at any point of time.
- (5) Parent-Teacher Association shall be constituted in every recognized school to ensure participation of parents of students studying in school.
- (6) Every recognized school shall continuously strive for achieving best academic quality standards. All the teachers shall be trained at least once in every three years in their concerned subjects.
- (7) Once the recognition is granted after due inspection, the Society/Trust shall not dilute any of the standards claimed at the

time of recognition. Officers of School Education Department can inspect the school premises at any point of time. If at the time of inspection it is found that the Society/Trust is not adhering to any of the standards, the Divisional Joint Director shall have the powers to suspend and subsequently withdraw the recognition of the school by following the procedure as specified in sub-rule (1) of rule 11.

10. Processing / Recognition fees-

- (1) Every Society/Trust submitting application for recognition/extension of recognition shall deposit processing/recognition fee as follows:-
- (a) Rs. 20,000/- for new recognition of High School and Rs. 25,000/- for new recognition of Higher Secondary school separately.
- (b) Rs. 2,000/- for additional stream.
- (c) Rs. 4,000/- for extension of recognition of High School and Rs. 5,000/- for extension of recognition of Higher Secondary school, for each academic year.
- (d) Rs. 5,000/- for addition or change in medium of instruction.
- (e) Addition in number of students For High School Rs. 2,000/-per 40 students for number exceeding 200 students and for Higher Secondary School Rs. 2,000/- per 40 students for number exceeding 300 students.
- (f) Rs. 10,000/- for change in place of school.
- (2) Amount received as a processing/recognition fees or Interest received from the bank on that amount shall be utilized by the Officer as authorized by the Recognition Committee for the following purposes, namely:-
- (a) To prepare and publish reference books.
- (b) Organizing workshops, meetings, seminars etc. for improving the quality of education

- (c) For giving awards to teachers and provision of medical facilities to teachers etc.
- (d) To strengthen basic infrastructure facilities in offices of School Education Department.
- (e) To provide basic infrastructure in Government schools.
- (f) For providing honorarium, travel expenses, etc. to officers from Directorate and subordinate offices and to the retired teachers for providing guidance in schools.
- (g) For the arrangements of online teaching/guidance.
- (h) For organizing long/short term, trainings/examinations for professional development of teachers.
- (i) To hire vehicles for the inspection of schools from time to time.
- (j) For preparing question papers for monthly, quarterly, half yearly examinations and producing material used for academic support.
- (k) For organizing training for preparing model question papers and text materials.
- (l) For modernizing evaluation processes and supplementing efforts for modern methods of teaching of Science and Mathematics.
- (m) For arrangement of ICT related activities and training for C.C.E. and other programs of School Education Department.
- (n) For any other activities as approved by Recognition Committee.
- (3) In case of failure of the Society/Trust in submitting application for new recognition/renewal of recognition within the prescribed time limit, the application can be accepted by depositing an amount of Rs. 20,000/- as a late fee till the prescribed dates. In case of a delay in first appeal and second appeal, it may also be considered by depositing the amount of Rs. 20,000/- as a late fee on M.P. Online portal till the prescribed date.

11. Cancellation/suspension of recognition and forfeiture of security deposit-

- (1) The Divisional Joint Director shall have the powers to suspend the recognition of the school on the basis of an enquiry conducted, if standards, conditions and responsibilities prescribed under rule 5 and rule 9 as well as the directions and guidelines issued from time to time are prima facie not found to be complied with,. After such suspension of recognition, it shall be mandatory to issue a Show Cause Notice to the Society/Trust within a period of 30 days. If such Show Cause Notice is not issued within the time prescribed, the suspension of recognition shall stand automatically withdrawn.
- (2) In case of issuing Show Cause Notice, if the Divisional Joint Director is not satisfied with the reply received from the Society/Trust, he/she may cancel the recognition of the school specifying the reasons thereof, after being given an opportunity to be heard to the concerned.
- (3) Once the recognition is withdrawn, the security deposit submitted shall be forfeited completely or partially as may be specified in the order

12. Procedure for appeal -

If the Society/Trust is not satisfied with the order of the Divisional Joint Director, the Society/Trust may file first appeal to the Commissioner of Public Instructions within 30 days of passing of the order of Divisional Joint Director. The Commissioner shall issue an order on such appeal within the time period of 30 days. If Society/Trust is dissatisfied with the order of Commissioner Public Instructions, it may file a second appeal before the Recognition Committee within the time period of 30 days. The decision of the Recognition Committee will be final and binding upon the Society/Trust.

13. Affiliation - It shall be mandatory for every private school to get affiliation from Board of Secondary Education.

14. Repeal and saving -

- (1) From the date of publication of these rules in Madhya Pradesh Gazette, existing Madhya Pradesh Madhyamik Evam Ucchatar Madhyamik Shala Manyta Niyam, 2015 shall stand repealed with effect from academic session 2017-18.
- (2) The recognition granted before the commencement of these rules from the education session 2017-18 shall be deemed to have been granted under these rules. Provided they shall have to fulfill the condition under sub-rule (2) of rule 5.
- (3) After the commencement of these rules, from the academic year 2017-18, the cases related to recognition already pending for decision or received thereafter shall be decided as per the provisions of these Rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. द्विवेदी, उपसचिव.